RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

अनुभाग–प्रथम
परिभाषा

इस निविदा में दिये गये निम्नलिखित शब्दों का अर्थ इस प्रकार से है :

- **''आरएसएमएमएल''** या कंपनी का अर्थ राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से है जिसका पंजीकृत कार्यालय सी–89–90, लाल कोठी स्कीम,जयपुर–302015, राजस्थान है और कारपोरेट कार्यालय 4– मीरा मार्ग,उदयपुर– राजस्थान है।
- **अनुबंधकर्ता** :अनुबंध के अर्न्तगत व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म अथवा कंपनी जिसका निविदा आरएसएमएमएल ने स्वीकृत कर लिया है और अनुबंधकर्ता की परिभाषा में अनुबंधकर्ता के वैधानिक प्रतिनिधि, प्रषासक, उत्तराधिकारी और एक्जीक्यूटर को भी सम्मिलित किया गया है
- **वैधानिक दायित्व** :एस.बी.यु. क्षैत्र से संबंधित मौजुदा कानूनों के अर्न्तगत आने वाले वैधानिक दायित्वों से है ।
- **स्वीकृति** का अर्थ है कम्पनी ऑफिसर इन्चार्ज द्वारा लिखित में अनुमोदन करने से है ।
- **प्रबंध निदेशक** : प्रबंध निदेशक का अर्थ आरएसएमएमएल के प्रबंध निदेशक से है।
- **अनुंबंध** : अनुबंध का अर्थ है कार्य को निष्पादित करने हेतु कंपनी और अनुबंधकर्ता के मध्य हुए एग्रीमेन्ट से है । इसमें सारे दस्तावेज जैसे अनुबंधकर्ता को आमंत्रित करने हेतु आमंत्रण पत्र, अनुबंधकर्ता को दिये गये निर्देश, अनुबंध की सामान्य स्थिति, अनुबंध की विशेष स्थिति, कार्यक्षेत्र, सामान्य आवश्यकताएँ, कार्यावधि, कार्यादेश जारी करने हेतु लेटर ऑफ इन्टेन्ट, ईमेल/ फैक्स आदि को भी सम्मिलित किया गया है ।
- **अनुबन्ध दर व अनुसूची दर** व निविदा दर व पारिश्रमिक की दर : का अर्थ निविदादाता द्वारा निविदा मे वर्णित शब्दों और अंकों में भरी गई दर से है और जिसे कंपनी ने अनुबंध और अनुबन्ध में आने वाले सभी दायित्वों का अनुबन्धकर्ता के द्वारा निष्पादन हेतु स्वीकृत किया है
- **प्रबन्धक(कार्मिक एवं प्रशासन) का अर्थ** :कंपनी का नामित अधिकारी जो इस कार्य कासमग्र पर्यवेक्षण, समन्वय, निर्देशन और समय–समय पर, इस कार्य हेतु प्रशाासन करेगा, से है।
- **प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)**: का अर्थ है आरएसएमएमएल के एस.बी.यु. एण्ड पी.सी.–जिप्सम से या कंपनी द्वारा नामित अधिकारी जो आफिस में प्रमुख एवं प्रभारी (जिप्सम)
- संविदा का उतराधिकारी हो को शामिल किया गया है ।
- LOA /DLOA –से तात्पर्य निविदादाता को लेटर/ईमैल/फेक्स द्वारा सूचना देने से है, कि निविदादाता की निविदा कंपनी द्वारा स्वीकृत कर ली गई है । यह स्वीकृति लेटर ईमेल/फैक्स में दिये गये प्रावधान अनुसार है ।
- **लिखित सूचना** : पंजीकृत डाक द्वारा निविदादाता के अन्तिम ज्ञात व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पते पर रजिस्टर्ड़/हेड/लोकल ऑफिस के पते पर भेजने से है।
- **बीकानेर, कार्यालय, बीकानेर–** जहॉ निविदादाता को कंपनी द्वारा दिया गया कार्य, कार्यादेश अनुसार करने से है।
- **टेण्डर** : NIT की एवज में निविदादाता द्वारा ऑनलाइन भरी गई निविदा , सम्बंधित दस्तावेज बाद में किये गये विचार विमर्श,एवं वार्तालाप का लिखित ब्यौरा, कंपनी और निविदादाता के बीच में हुआ है को सम्मिलित किया जायेगा ।

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

निविदाक्र.:आर.एस.एम.एम. / जिप / प्रशा / 10(28) / 2026–344 दिनांक 22.09.2026

निविदासूचना

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.,एस.बी.यू. एण्ड पी.सी.–जिप्सम, बीकानेर कार्यालय में बिजली से संबंधित कार्य जैसे – बिजली के पोइंटस, बिजली फिटिंग / तारों की खराबी को सही करना, पानी के पम्पों को चालू करने एवं अन्य छोटे–मोटे बिजली से संबंधित कार्य तथा डी.जी. सेट को कार्यालय समय में स्वचालित प्रणाली पर रखना, डीजल भरना, साफ–सफाई करना, लॉग बुक भरना इत्यादि कार्य ठेके पर करने हेतु **दो (2) वर्ष** की समय अवधि के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं ।

निविदा प्रपत्र संस्थान के बीकानेर कार्यालय के कार्मिक एवं प्रशासन विभाग में निविदा शुल्क रूपये 590 / –(अखरे रूपये पॉच सौ नब्बे मात्र)(जी.एस.टी. सहित) जो कि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि., बीकानेर के नाम पे आर्डर / डी.डी.के जरिये अथवा नकद जमा करवा कर दिनांक **से 25.09.2026 से 14.10.2026** तक किसी भी कार्यदिवस (अवकाश के अतिरिक्त) के दौरान (प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक) प्राप्त किये जा सकतेहैं ।इसके अलावा इच्छुक निविदाकार प्रस्ताव प्रपत्र को वेबसाईडwww.sppp.rajasthan.gov.in अथवा www.rsmm.com से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड किया गया प्रस्ताव प्रपत्र, प्रस्तुत करते समय निविदाकार को प्रस्ताव प्रपत्र शुल्क के रूप में रूपये: 590 / – (अखरे रूपये पॉच सौ नब्बे मात्र) का डी.डी. जो की राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि., बीकानेर के नाम देय हो, प्रस्ताव प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।निविदाऍ दिनांक **15.10.2026** को दोपहर 03.30 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी । प्राप्त निविदाओ के प्रथम भाग (तकनीकी भाग) को दिनांक **16.10.2026** दोपहर 03.30 बजे इच्छुक निविदाकारों / प्रतिनिधियों के समक्ष कम्पनी के बीकानेर स्थित कार्यालय में खोली जायेगी। बयाना राशी रू 8000 / –(अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र)) पे आर्डर / डी.डी.जो कि आर.एस.एम.एम.लि. बीकानेर के पक्ष में देय हो निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवाना आवश्यक है ।बिना धरोहर राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकार नही किया जावेगा।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास किसी भी या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

समुह महप्रबंधक (जिप्सम)

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

निविदा संख्या आर.एस.एम.एम. / जिप / प्रशा. / 10(28) / 2026–344 दिनांक 22.09.2026

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि.,
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम, प्लॉट नं.02,गांधी नगर योजना, बीकानेर कार्यालय में बिजली से संबंधित कार्य जैसे – बिजली के पोइंटस, बिजली फिटिग / तारों को सही करना, पानी के पम्पों को चालू करने एवं अन्य छोटे–मोटे बिजली से संबंधित कार्य तथा डी.जी. सेट को कार्यालय समय में स्वचालित प्रणाली पर रखना, डीजल भरना, साफ–सफाई करना, लॉग बुक भरना इत्यादि कार्य हेतु निविदा प्रपत्र।

निविदा प्रपत्र की बिक्री:दिनांकः–	**25.09.2026** से दिनांक **14.09.2026** तक प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक (कार्यालय दिवस में)
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि व समयः दिनांक	**15.10.2026** समयःदोपहर 03.30 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि व समय : दिनांकः	**16.10.2026** समयःदोपहर 03.30 बजे

स्थान : आर.एस.एम.एम.लि.,02, गांधीनगर योजना, बीकानेर (राज.) ।

निविदा प्रपत्र का मूल्य : रू. 590 / –(अखरे रूपये पॉच सौ नब्बे मात्र, जी.एस.टी. सहित)

समुह महप्रबंधक (जिप्सम)
बीकानेर कार्यालय की ओर से जारी

कॉर्पोरेट कार्यालय
4,मीरा मार्ग, उदयपुर
फोन : 0294–2428763–67

रजिस्टर्ड कार्यालय
89–90 लालकोठी स्कीम,
जयपुर
फोन : 0141–2743735

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A Government of Rajasthan Enterprise)

SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.

Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295

Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in

CIN –U14109RJ1949SGC000505

क्र.: आर.एस.एम.एम. / जिप / प्रशा / 10(28) / 2026–344 दिनांक: 22.09.2026

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

विषय – आर.एस.एम.एम.एल. एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम के 2, गॉधी नगर योजना, बीकानेर स्थित कार्यालय भवन में बिजली से संबंधित कार्य ठेके पर करने हेतु ।

श्रीमान्,

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम के 02, गॉधी नगर योजना, बीकानेर स्थित कार्यालय भवन में बिजली से संबंधित कार्य जैसे – बिजली के पोइंटस, बिजली फिटिंग / तारों की खराबी को सही करना, पानी के पम्पों को चालू करने एवं अन्य छोटे–मोटे बिजली से संबंधित कार्य तथा डी.जी. सेट को कार्यालय समय में स्वचालित प्रणाली पर रखना, डीजल भरना, साफ–सफाई करना, लॉग बुक भरना इत्यादि कार्य ठेके पर करने हेतु **दो (2) वर्ष** की समय अवधि के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं ।

1.0 <u>प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पात्रता</u> :–

1.1 प्रस्तावक / ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले व्यक्ति मान्यता प्राप्त संस्थान से आई.टी.आई. ईलैक्ट्रिकल योग्यता / प्रमाण–पत्र धारक होना आवश्यक है ।

2.0 कार्य क्षेत्र एवं कार्य का विवरण

2.1 डी.जी. सेट (जनरेटर) को कार्यालय समय में स्वचालित प्रणाली पर रखना, डीजल भरना, लोग बुक भरना इत्यादि कार्य।

2.2 पानी के पंम्प सेट को चालु करना ।

2.3 बिजली के विभिन्न प्रकार के स्विच बोर्ड़ों का रख–रखाव करना एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सही करना एवं बदलना इत्यादि ।

2.4 बिजली के पंखों, लाइट्स, ट्यूबलाइट्स, बिजली के बोर्ड इत्यादि बदलना एवं नये लगाना ।

2.5 बिजली की लाईनों की मरंम्मत करना / खराबी दूर करना ।

2.6 बिजली के पैनल बोर्ड़ का रख–रखाव एवं आवश्यकता होने पर दूरस्त करना इत्यादि ।

2.7 सभी ए.सी. फिल्टर्स की निरंन्तर साफ–सफाई करना एवं वापस लगाना ।

2.8 बिजली सुरक्षा संबंधित सुझाव समय–समय पर देना ।

3.0 कार्य अवधि :

कार्य की अवधि **दो वर्ष तक के लिये मान्य होगी** । जिसकी गणना कार्यारम्भ करने की अनुमति की दिनांक से की जायेगीं । सफल निविदाकार विभाग के साथ एक अनुबंध स्वयं के खर्चे पर करेगा जो दो (02)वर्ष तक मान्य होगा। जो कार्य आदेश जारी होने के एक महीने मे करना होगा। कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात **RTTP** एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है।

इच्छुक प्रस्तावक/ठेकेदार द्वारा कार्यालय स्थल का निरीक्षण कार्य की दर भरने से पूर्व तक किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान कार्य से संबंधित स्पष्टिकरण वरिष्ठ प्रबन्धक (कॉ.एवं.प्रशा.) / कंम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा दिया जायेगा। कार्य से संबंधित किसी भी तरह के विवाद पर बाद में विचार नहीं किया जायेगा। प्रस्तावक प्रस्ताव प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्णरूप से आश्वस्त कर लें, ताकि अनुबंध के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। प्रस्ताव प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति/संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ठेकेदारा द्वारा कार्य हेतु व्यक्ति प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 9:30 बजे से सांय 6:00 बजे तक उपलब्ध करवाना होगा एवं अवकाश के दिन आवश्यकता होने पर व्यक्ति उपलब्ध करवाना होगा।

काम में आने वाले आवश्यक औजार (प्लास, पेचकस, टेस्टर इत्यादि) ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाने होंगे। स्विच बोर्ड, तार, प्लेट, ट्यूब लाईट इत्यादि बदले जाने वाले सामानों की व्यवस्था कंम्पनी द्वारा की जायेगी।

कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा संबंधी उपकरण/सामान की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को ही करनी होगी। कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर कंम्पनी जिम्मेदार नहीं होगी। ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले व्यक्ति का बीमा ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर करवायेगा।

4.0. बयाना राशि (Earnest Money)

4.1 निविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ रूपये 8,000/–(रू. आठ हजार मात्र) का बैकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट बयाना राशि के रूप में संलग्न करना होगा, जो कि आर. एस. एम. एम. लि. बीकानेर के नाम से देय हो।बिना बयाना राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

4.2 सफल निविदाकार की बयाना राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।

4.3 बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा ।

4.4 सफल निविदाकर्ता को सात दिवस में कार्य आरम्भ करना होगा अन्यथा रू 500/– प्रतिदिन की पेनल्टी निविदाकर्ता से ली जाएगी । कार्यावधि की गणना कार्यारम्भ अनुमति प्रदान करने की दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी । अगर निविदाकर्ता पन्द्रह दिनों में कार्यारम्भ नही करता है, तो बयाना राशि या अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी व कार्य आदेश निरस्त किये जाने का अधिकार कम्पनी को होगा। ऐसे निविदाकर्ता भविष्य में कम्पनी मे किसी निविदा में भाग नही ले सकेगें ।

4.5 निविदाकर्ता की बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा जब्त की जा सकती है–

i) यदि निविदाकर्ता निविदा देने के पश्चात वैधता अवधि के दौरान अपनी निविदा व प्रस्ताव को परिवर्तित करता अथवा वापिस लेता है ।

ii) यदि निविदाकर्ता कार्य आदेश को निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान नही करता है

iii) यदि निविदाकर्ता प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबंध सम्पादित नही करता है

iv) यदि यह कम्पनी द्वारा सुनिश्चित हो जाता है कि निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के समय अथवा बाद में निविदाकर्ता ने गलत सूचना व फर्जी दस्तावेज निविदा प्रपत्र में संलग्न किये है ।

v) यदि कार्य आदेश जारी होने के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नही किया जाता है।

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

5.0 प्रतिभूति राशि (Security Deposit)

5.1 कम्पनी के प्रचलित नियम व शर्तो के अनुसार प्रतिभूति राशि की दर कुल निविदा कार्य की 10% है निविदाकार की बयाना राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जाएगा। बयाना राशि समायोजन करने के पश्चात् 50 प्रतिशत प्रतिभूति राशि बैकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में कार्य आदेश/सहमति पत्र /एल0ओ0ए0 जारी करने के 15 दिन के अन्दर जमा करानी आवश्यक होगी एवं शेष 50 प्रतिशत राशि की कटौती प्रतिमाह के बिलों में से से की जायेगी। इसके अतिरिक्त बैंक गारंटी केवल हमारे द्वारा अनुमोदित प्रारूप में ही गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non&Judicial Stamp Paper) पर प्रस्तुत की जाएगी, जिसका मूल्य बैंक गारंटी की राशि का 10: अथवा उस समय प्रचलित उपयुक्त मूल्य, जो भी लागू हो, होगा। बैंक गारंटी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1954 की अनुसूची–प्प के अनुसार पात्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी की जानी चाहिए तथा संबंधित बैंक की शाखा बीकानेर में स्थित होना अनिवार्य होगा।

कंपनी द्वारा निर्धारित इस प्रारूप में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।बैंक गारंटी की वैधता पूरे अनुबंध की अवधि तथा, यदि कोई विस्तार दिया जाता है तो विस्तारित अवधि, के लिए होगी तथा इसके अतिरिक्त छः माह की अनुग्रह अवधि (Grace Period) भी होगी।कंपनी को अधिकार होगा कि वह अपने दावों, बकाया राशि अथवा अनुबंध के अंतर्गत देय किसी भी राशि के विरुद्ध बैंक गारंटी की पूरी राशि अथवा उसके किसी भाग को भुना (Encash) कर समायोजित कर सके।

5.2 अगर ठेकेदार कार्य करने में असफल रहता है तो कम्पनी अपने निर्णय से प्रतिभूति राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी।

5.3 कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अथवा किसी प्रकार की हानि अथवा अनियमितता होने पर प्रतिभूति राशि में से होने वाले नुकसान की भरपायी रकम काट कर की जा सकेगी। ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप प्रतिभूति राशि में कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति ठेकेदार के मासिक बिलों में से की जा सकेगी।

5.4 ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में 15(पन्द्रह) दिवस के अग्रिम नोटिस पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। इस संबंध में कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

5.5 प्रतिभूति राशि का भुगतान अनुबंध के समाप्त होने के सामान्यतः छः (06)माह के पश्चात कर दिया जाएगा। ठेकेदार को सभी प्रकार की कटौतियॉ, श्रमिकों का वेतन इत्यादि का भुगतान कर दिया है का प्रमाण पत्र, एवं नो डयूज और नो क्लेम का स्टाम्प पेपर पर प्रमाण पत्र (No dues and no claim certificate) भी देना आवश्यक हैं।

5.6 प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

6.0 नियम व शर्तें–

6.1 प्रस्तावक/ ठेकेदार का पिछले तीन वर्षो (वर्ष 2023–24, 2024–25, 2025–26) में किसी भी एक वर्ष में न्यूनतम टर्नओवर रूपये 2,00,000/– प्रति वर्ष होना आवश्यक है ।

6.2 ठेकेदार द्वारा किसी दिन कार्य ना करने की स्थिति में प्रतिदिन 1000/- रूपये पेनल्टी ठेकेदार से वसुल की जायेगी व इसके अतिरिक्त जितने दिनों तक ठेकेदार द्वारा कार्य नही किया जायेगा उतने दिनों का भुगतान भी कम्पनी द्वारा नही किया जायेगा ।

6.3 ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले व्यक्ति आई.टी.आई. ईलैक्ट्रिकल योग्यता / प्रमाण–पत्र धारक होना आवश्यक है एवं प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक है ।

6.4 यदि राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी टैक्स अनुबंध अवधि के दौरान लगाया व बढाया जाता है तो ऐसे समस्त टैक्सों का भुगतान ठेकेदार को स्वयं करना होगा। व ऐसे भुगतानों के लिए कम्पनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

6.5 ठेकेदार के अधीन कार्यरत व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से अधिक होना आवश्यक है।

6.6 ठेकेदार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियेां को किसी दुर्घटना अथवा चोट आदि का मुआवजा अथवा अन्य किसी प्रकार का दावा व भुगतान ठेकेदार को स्वयं करना होगा और विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

6.7 ठेकेदार के अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियेां का व्यवहार विभागीय कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण होना आवश्यक है।

6.8 निविदाकार अपने अधीन कार्यरत व्यक्तियेां का बीमा स्वयं करवायेगा। अनुबंध अवधि में किसी तरह की दुर्घटना होने पर RSMMLका उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

6.9 ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गए व्यक्ति के वेतन, भत्ते अथवा अन्य भुगतान ठेकेदार को करने होगें तथा किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए यह विभाग जिम्मेदार नहीं है।

6.10 ठेकेदार के अधीन कार्यरत व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ठेकेदार स्वयं रखेंगे एवं सुरक्षा कारणों से विभाग द्वारा मांगने पर उपलब्ध कराएंगे।

6.11 **समुह महप्रबंधक (जिप्सम)** आर.एस.एम.एम.एल., बीकानेर को किसी भी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6.12 **समुह महप्रबंधक (जिप्सम)** आर.एस.एम.एम.एल., बीकानेर किसी भी दर के प्रस्ताव को स्वीकार करने को बाध्य नहीं होंगे।

6.13 ठेकेदार के और विभाग दोनों के बीच में उठे किसी भी मतभेद की स्थिति में **समुह महप्रबंधक (जिप्सम)** आर.एस.एम.एम.एल., बीकानेर का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों के लिए बाध्य होगा।

6.14 ठेकेदार प्रस्ताव प्रस्तुत करनें की तिथि से निर्णय की अवधि में अपने प्रस्ताव वापस लेता है अथवा शतों तथा स्थिति में परिवर्तन करता है, तो कंपनी को अधिकार होगा कि धरोहर राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ले।

6.15 आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्त्रोत पर कटौती की जावेगी एवं ठेकेदार को अपना पेन नंबर लेखा विभाग में देना होगा।

6.16 समय समय पर राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा ठेके के अधीन कार्यरत व्यक्तियेां के संबंध में जारी दिशा/निर्देश/नियमों /उपनियमों एवं नियमों में संशोधन की पालना ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

6.17 प्रस्तावक का पी एफ रजिस्ट्रेशन नं एंव रजिस्ट्रेशन प्रामाण प्रत्र की सत्यापित प्रतिलिपी अथवा इस आशय का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया है कि कार्य आदेश जारी होने के बाद पी.एफ.के रजिस्टेषन करवा लिया जायेगा ।

7.0 वस्तु एवं सेवाकर (GST) से सम्बंधित नियम एंव शर्ते–

7.1 यदि उक्त ठेके कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का कर वस्तु एवं सेवाकर (GST) इत्यादि जमा करवाने का दायित्व बनता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान वस्तु एवं सेवाकर (GST) जमा चालान प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

7.2 प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दर वस्तु एवं सेवाकर (GST) रहित एंव अंनुबध पर लागु अन्य सभी करों **सहित** (निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथीतक) होगी ।

7.3 प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दर अंनुबध अवधि में स्थिर रहेगी एंव अनुबंध अवधि में प्रस्तुत दर मे किसी भी प्रकार की वृद्धि नही की जायेगी ।

7.4 वस्तु एवं सेवाकर (GST) को समय पर जमा करवाने एंव समय पर रिटर्न भरने की जिम्मेदारी ठेकेदार स्वयं की होगी । ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अगले महीने में RSMML के लिए GST पर आवश्यक केडिट उपलब्ध हो परन्तु यदि केडिट उपलब्ध नही होता तो कम्पनी द्वारा इस राशि का भुगतान ठेकेदार के बिल या प्रतिभुति राशि में से कटौती (Deduct) / वसुल (Recover) /रोक कर (Retain) किया जायेगा।

7.5 इनपुट टैक्स केडिट (ITC) के भुगतान नही होने की स्थिति में, या GST के भुगतान एंव रिटर्न फाईल से सम्बंधित पेनल्टी भी कम्पनी द्वारा ठेकेदार के बिल या प्रतिभुति राषि में से कटौती (Deduct) / वसुली (Recover) /रोक कर (Retain) की जायेगी ।

7.6 ठेकेदार को मासिक बिलों के साथ सम्बंधित कर अवधि में GST जमा करवाने एंव रिटर्न फाईल करने के संदर्भ में परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा। मासिक बिलों में GSTIN एंव HSN/SAC Code दर्शाना होगा ।

7.7 इसके अलावा प्रस्तावक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय यह परिवचन (Undertaking) भी प्रस्तुत करना होगा कि आज दिनांक तक (निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी तक) GST के भुगतान एंव उसके रिटर्न फाईल की जा चुकी है एंव इस बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद लंबित नही है, ना ही कोई चुक हुई है ।

8.0 <u>सामान्य शर्तें–</u>

8.1. ठेकेदार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मचारियों के कृत्यों (Acts & deeds) के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 असंतोषजनक कार्य व व्यवहार की शिकायत की जांच के बाद वे यदि सही पाई गई तो प्रतिभूति राशि (Security Deposit) जब्त की जा सकती है अथवा/तथा आगामी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।

8.3. ठेकेदार अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी वैधानिक नियम व उपनियमों की पालना करेगा। सभी नियम व उपनियम जो कि वर्तमान में लागू है एवं भविष्य में लागू किये जाएंगे, की भी अनुपालना करेगा।

8.4. ठेकेदार अपने कार्य निष्पादन से संबंधित सभी दायित्वों, देनदारियों जो कि नियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों को किसी भी नियम एवं उपनियम के तहत देय होगी, से कम्पनी को मुक्त रखेगा।

8.5 ठेकेदार कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, बोनस एक्ट 1966, ग्रेच्युटी एक्ट 1971, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, भारतीय रेट अधिनियम 1947, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, कान्ट्रेक्टर लेबर रेग्यूलेशन तथा अबोलेशन एक्ट, 1970, एम्प्लोयस लायबिलीटी एक्ट, 1938 इण्ड्रस्टीयल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 एवं श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गए उपबंधों नियमों, उपनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। इन समस्त नियमों, उपनियमों में समय समय पर किए गए संशोधनों का निवर्हन नहीं किए जाने की स्थिति में उसके परिणामों /दायित्वों के ठेकेदार स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगे।

8.6. ठेकेदार उपलब्ध करवाये जाने वाले से संबंधित कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1855 के अन्तर्गत दिए गए नियमों, उपनियमों समय समय पर किए गए संशोधनों का निवर्हन नहीं किए जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

8.8 अनुबंध लागू होने की स्थिति में ठेकेदार को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, और उनके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और ठेकेदारों द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों कें अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा ।

8.9 भारत सरकार द्वारा निम्न श्रम संहिताएॅ अधिनियमित की गई है, जिसकी पालना निविदाकार द्वारा सुनिश्चित की जावें :–

(अ) वेतन संहिता, 2019
(ब) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
(स) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियॉ संहिता, 2020

9.0 बिलों का भुगतानः–

(1) ठेकेदार को बिलों का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा ।
(2) बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने होगे तथा बिलों के साथ पी.एफ, ईएसआई व जीएसटी व जीएसटी के B2B चालान भी प्रस्तुत करने होगे ।
(3) महीने का कार्य पूर्ण हाने पर ठेकेदार अगले माह के प्रथम सप्ताह में दो या अधिकतम 7 तारीख तक बिल दो (02) प्रतियों में कम्पनी के अधिकृत प्रयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित करवा कर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।
(4) साधारणतः मासिक बिल का भुगतान वैधानिक कटौतियाँ करने के बाद एव बिल प्रस्तुत करने के पन्द्रह (15) दिन की अवधि के अन्दर अकाउन्ट–पेयी चैक के द्वारा कर दिया जाएगा ।
(5) निर्धारित समयावधि तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उसका भुगतान साधारणतया अगले माह में किया जायेगा ।

10.0 नेगोशियेशनः–

10.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L-1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है। न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता की दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदाकर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L-2) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L-3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा। जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कम्पनी द्वारा कार्य आदेश जारी किया जा सकता है ।

10.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा ।

10.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमे की यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है ।

11.0 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम– 2012 से संबंधित प्रावधानः–

11.1 सार्वजनिक खरीद अधिनियम में राजस्थान ट्रांसपेरैंसी के सभी प्रावधान और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले संोधन और उसके तहत बनाए गए नियम स्वतः ही लागू होंगे ।

11.2 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की धारा 40 के अधीन यदि कोई बोली लगाने वाले या भावी बोली लगाने वाले व्यथित होता है कि खरीद इकाई का कोई निर्णय, कार्यवाही या चूक इस अधिनियम के प्रावधान या इसके द्वारा जारी किए गए नियमों या दिशा निर्देशों के उल्लंघन में है तो वह इस तरह के निर्णय या कार्यवाही की तारीख से दस दिनों में पहले या दूसरे अपील प्राधिकारी के समक्ष मामले को स्पष्ट रूप से दर्शाकर निर्धारित शुल्क के साथ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत फार्म न. 01 (नियम 83 देखे) में दायर कर सकता है ।

12.0 प्रस्ताव प्रपत्र जमा करवाने के संबंध में निर्देशः–

12.1 प्रस्तावक प्रस्ताव प्रपत्र भरने से पूर्व स्वयं को पूर्ण रूप से आश्वस्त करलें । प्रस्ताव प्रपत्र खोलने के बाद किसी प्रकार की अनभिज्ञता एवं आपत्ति/संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.2 प्रस्तावक को प्रस्ताव प्रपत्र की शर्तों की स्वीकृति हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर अपने पद के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

12.3 अपूर्ण, अस्पष्ट, अपाठ्य तथा शर्तों के साथ भरे गए प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होंगे।

12.4 प्रस्ताव दो भागों में भरने होंगे।

(i) प्रथम भाग(तकनीकी भाग) – इस भाग में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक हैं ।

(अ) प्रस्तावक का नाम, पता, टेलीफोन नं. इत्यादि की जानकारी प्रारूप परिशिष्ट–1 में संलग्न करना आवश्यक है।

(ब) प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले व्यक्ति की योग्यता संबंधित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।

(स) प्रस्तावक अपने स्वयं के बारे में इस आशय का एक शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेगा कि केन्द्रीय/राज्य सरकार और किसी भी सरकारी या निजी उपक्रम के साथ इसके द्वारा निष्पादित किये गये कार्य के बारे में कोई विवाद लम्बित नहीं है।

- वांछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट
- पूर्ण रूप से भरा प्रस्ताव प्रपत्र (प्रस्तावक के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने पद के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर मय मोहर)
- अपूर्णरूप से भरे गये प्रथम भाग या अपठनिय होने की स्थिती में प्रबन्धन प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकते है ।

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

(ii) द्वितीय भाग (वित्तीय भाग)–

- कार्य की दरें परिशिष्ट 2 में भरनी हैं जो कि अलग लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत करनी होगी। प्रस्तावक अपने प्रस्ताव के दोनों भागों को अलग–अलग लिफाफे में सील बंद करके प्रस्तुत करेगा दोनों लिफाफों पर स्पष्ट रूप से भाग का नाम (प्रथम एवं द्वितीय) लिखकर दोनों को एक अन्य लिफाफे में बंद कर दिनांक **15.10.2026** को 03.30.बजे (दोपहर)तक बीकानेर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक . **16.10.2026** .को 03.30 (दोपहर)बजे प्राप्त प्रस्तावों के प्रथम भाग को प्रस्तावकों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा। इसमें सफल प्रस्तावकें को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं ऐसी सूचीबद्ध प्रस्तावकों का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा।
- प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के परिशिष्ट–2 में दर सभी करों सहित परन्तु GST रहित भरनी होगी। सफल प्रस्तावक को कम्पनी के साथ, प्रस्ताव LOAजारी करने के तीस (30) दिन के भीतर इंडियन स्टाम्प एक्ट के तहत, उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक इकरार नामा सम्पन्न करना होगा। नान ज्यूडिशियल स्टेम्प एवं इकरारनामा का समस्त व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा।

13.0 न्याय क्षेत्र :– इस अनुबन्ध से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद हाने पर न्याय क्षेत्र बीकानेर स्थित न्यायालय ही रहेगा ।

समुह महाप्रबंधक (जिप्सम)

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

अनुलग्नक– I

सत्यनिष्ठा की संहिता एवं हित का विरोध की अनुपालना :–

सत्यनिष्ठा की संहिताः–उपापन संस्था के समस्त अधिकारी या कार्मचारीः

(i) अपने कार्यालय के भीतर और बाहर दोनों जगह सत्यनिष्ठा का अधिक्षेप्य स्तर बनाये रखेगें ।

(ii) किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसने उपापन संस्था को उपापन किया है या करना चाहता है, कोई रिश्वत, इनाम या उपहार की या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य नियोजन के वचन से तात्विक फायदे के लिए अभ्यर्थना नही करेंगे या स्वीकार नही करेंगे ।

(iii) किसी भी उपापन संस्था की बोली प्रकिया में किसी भी बोली लगाने वाले के प्रति कोई वित्तीय हित नही रखेंगे और किसी भी बोली लगाने के प्रति वित्तीय हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस उपापन प्रकिया में भाग नही लेगा ।

(iv) उपापन प्रकिया में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के सिद्धांत के अनुसार समस्त बोली लगाने वालों के साथ निष्पक्ष और सौम्यापूर्ण तरीके से व्यवहार करेंगे।

(v) सूचना और सूचना के स्त्रोतों से संव्यवहार करने के दौरान समस्त परिस्थितियों में उपापन संस्था के हितों का संरक्षण करेंगे।

(vi) उपापन प्रकिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा ।

(vii) उपापन प्रकिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नही डालेगा ।

(viii) हित का विरोध ,यदि कोई हो , प्रकट करेगा ।

(ix) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विर्वजन को प्रकट करेगा।

हित का विरोध :बोली प्रकिया में भाग लेने वाले बोलीदाता के हितों का टकराव नहीं होना चाहिए।

किसी उपापम संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालो के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हो जो उस पक्षकार के पदीय कर्त्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो ।

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रकिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नही है यदि,–

1. उनके समान नियंत्रक भागीदार है ।
2. वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करतें हैं या प्राप्त की है।
3. उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
4. उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो ।

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

5. कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रकिया में एक से अधिक बोली मे भाग लेता है तथापि, यह एक ही उप संविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है; या
6. बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रकिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने मे सलाहकार के रूप में भाग लिया है । सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे की बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किए हैं , के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ना तो संबद्ध है और न ही संबद्ध रहा है या संविदा के लिए प्रयोजना प्रबंधक के रूप मे प्रस्तावित किया जा रहा है ।

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

अनुलग्नक– II

यौग्यता के संबंध मे बोलीदाता द्वारा घोषणा
बोलीदाता द्वारा घोषणा

हमारी बोली के संबंध में...की खरीद के लिए.. को उनके नोटिस मे प्रतिसाद देते हुए बोलियां संख्या...दिनांक......................... ....इसके द्वारा हम राजस्थान लोक उपापन में पारदार्शिता अधिनियम 2012, की धारा 7 के तहत घोषणा करते है ।

1. हमारे पास आवश्यक पेशेवर तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय संसाधन है और बोली लगाने वाले दस्तावेज दवारा आवश्यक क्षमता की खरीद इकाई द्वारा की जाती है।
2. हमने संघ और राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय ऐसे करों का भुगतान करने का हमारा दायित्व पूरा किया है जैसा कि मैने बोली दस्तावेज मे निर्दिष्ट किया है ।
3. हम दिवालिया नही है । रिसीवर्सशिप में दिवालिया हो रहे या भटक रहे है हमारे मामलों को कोर्ट या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित नही किया गया है प न की हमारी व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है और किसी को कानूनी कार्यवाही के अधीन नही किया गया है ।
4. हमारे निदेशकों और अधिकाारियों को हमारे पेशेवर आचरण या झूठे बयान या गलत बयानी से संबंधित किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नही ठहराया गया है जैसे कि हमारी योग्यता एक अवधि के भीतर खरीद अनुबंध मे प्रवेश करने के लिए । खरीद प्रकिया शरू होने से पहले तीन साल या नही तो डिबेट कार्यवाही के लिए अयौग्य घोषित किया गया है।
5. हमारे पास अधिनियम नियमों ओर बोली दस्तावेज में निदिष्ट हितों का टकराव नही है जो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है ।

दिनांक............................

स्थान......................................

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम....................................
पद......................................
पता..................................

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

अनुलग्नक– III

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और पता है
प्रमुख सचिव,
राजस्थान सरकार,
खान एवे पेट्रोलियम विभाग,
सचिवालय, जयपुर ।

द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और पता है
प्रमुख सचिव,
राजस्थान सरकार,
वित्त विभाग,
सचिवालय, जयपुर ।

(1) अपील दायर करना

अपील :– (1) धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए , यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय,कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को , जिसे इस प्रयोजन के लिए पदभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार , जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए , ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या ,यथास्थिति , लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि ,लो पूर्व –अर्हता दस्तावेजों ,बोली लगाने वाले के , रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये,भीतर अपील दाखिल कर सकेगा ।

परन्तु धारा 27 के निबंधनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले दवारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है ।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहां उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहां वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा ।

(3) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेष से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या , यथास्थिति ,उपापन संस्था,उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति,उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेष की प्रप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा ।

4. कतिपय मामलों में अपील नही होगी :–उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिश्चय के विरूद्ध कोई अपील नही होगी, अर्थात्:–

(i) (धारा 5 के निबन्धनो में)उपापन की आवश्यकता का अवधारण:
(ii) (धारा 6 के उपबधों के निबन्धनों मे) बोली प्रकिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने का सीमित करने वाले उपबंध:
(iii) (यह विनिष्चय कि धारा 15 के)निबन्धनों में बातचीत की जाये या नही :
(iv) (धारा 26 के निबन्धनो में) उपापन का रददकरण:
(v) (धारा 49 के अधीन) गोपनीयता के उपबंधो का लागू होना ।

(5) अपील का प्रारूपः– (1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4)के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितनें कि अपील में प्रत्यर्थी है ।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश् जिसके विरूद्ध अपील की गयी है् यदि कोई हो् अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी ।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील अधिकारी को व्यक्तिश या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(6) अपील फाईल करने के लिए फीस (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पॉच सौ रूपये और दितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी ।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैक मांगदेय डाफ्ट या बैकर चैक के रूप मे किया जायेगा जो संबधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा ।

(7) अपील निपटारे की प्रकिया (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाईल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील शपथ पत्र और दस्तावेजों यदि कोई हो की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा ।

(2) सुनवाई के लिये नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा और

(ख) मामले से संबधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा ।

(3) पक्षकरो की सुनवाई मामले से संबधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात, संबधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा । और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निशुल्क उपलब्ध करवायेगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शीत किया जायेगा ।

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

प्रारूप सं. 1

(नियम 83 देखिए) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

..........................की अपील सं. ....
(प्रथम /द्वितीय अपील प्राधिकारी)...............................के समक्ष

1. अपीलार्थी की विष्टियां
   (क) अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के पिता का नाम...
   (ख) कार्यालय का पता यदि कोई हो तो ....
   (ग) आवासिक पता...
2. प्रत्यथी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता
   (क)
   (ख)
   (ग)
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद अपील की गयी है एवं अधिकारी /प्राधिकारी का नाम, पदनाम जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपी संलग्न करे) या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय कार्य या लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है ।

4. यदि अपीलाथी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता

5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या

6. अपील का आधार

....(शपथपत्र द्वारा समर्थित)

7. प्रार्थना..

स्थान.................
दिनांक...................   **अपीलार्थी के हस्ताक्षर**

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

आर.एस.एम.एम. / जिप / प्रशा / 10(28) / 2026–344 दिनांकः 22.09.2026

परिशिष्ट–1

प्रथम भाग तकनीकी एवं वाणिज्यिक

प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरे
1.	वांछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. व राशि	डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे आर्डर सं................................. राशि..............................दिनांक..........................
2.	प्रस्तावक का नाम, वर्तमान व स्थाई पता एवं टेलीफोन नं. / मोबाईल नं / फैक्स नं. / ई मेल।	नाम... पता... मोबाईलन.. फैक्स नं............................ई मेल................................
3.	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम पंजीयन संख्या एवं यदि साझेंदारी है तो, डीड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।	
4.	क्या वर्तमान में आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं, यदि हां तो पूर्ण विवरण देवें।	
5.	प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले व्यक्ति की योग्यता संबंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।	
6.	क्या प्रस्तावक द्वारा / फर्म का आयकर कार्यालय द्वारा जारी (Assessment) नवीनतम प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की गई है ?	
7.	क्या निविदादाता ने अपने स्वयं के बारे में इस आशय का एक शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया है कि केन्द्रीय / राज्य सरकार और किसी भी सरकारी या निजी उपक्रम में उसके द्वारा किये गये कार्य के बारे में उसका कोई विवादे लम्बित नहीं है	
8.	प्रस्तावक का पी एफ रजिस्ट्रेशन नं एंव रजिस्ट्रेशन प्रामाण प्रत्र की सत्यापित प्रतिलिपी अथवा इस आशय का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया है कि कार्य आदेश जारी होने के बाद पी.एफ.के रजिस्टेषन करवा लिया जायेगा ।	पी. एफ. रजिस्टेषन नं .... अथवा षपथ पत्र..
9.	Clause No. 7.7 के अनुसार वस्तु एवं सेवाकर (GST) के भुगतान एंव रिटर्न फाईल के संदर्भ में परिवचन (Undertaking) संलग्न है ।	

हस्ताक्षर प्रस्तावक मय मोहर

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

आर.एस.एम.एम. / जिप / प्रशा / 10(28) / 2026–344 दिनांकः 22.09.2026

परिशिष्ट–2

द्वितीय भाग

कार्य की दरें (Rate Part)

प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावप्रपत्र को पूर्ण रूप से पढने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना होगा :–

कार्य	प्रति माह दर शब्दों में (रू.) (वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अतिरिक्त एंव सभी करों सहित)	प्रति माह दर दर अंको में(रू.) (वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अतिरिक्त एंव सभी करों सहित)
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम के 02, गॉधी नगर योजना, बीकानेर स्थित कार्यालय भवन में बिजली से संबंधित कार्य जैसे – बिजली के पोइंटस, बिजली फिटिंग / तारों की खराबी को सही करना, पानी के पम्पों को चालू करने एवं अन्य छोटे–मोटे बिजली से संबंधित कार्य तथा डी.जी. सेट को कार्यालय समय में स्वचालित प्रणाली पर रखना, डीजल भरना, साफ–सफाई करना, लॉग बुक भरना इत्यादि कार्य ठेके पर करने हेतु ।		

Note-1.दरें शब्दों एवं अंको (Words & Figures) में स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। दरों में किसी तरह का अन्तर होने पर न्यूनतम दर को ही प्रस्तावित दर माना जायेगा ।

2.उपरोक्त प्रस्तावित दर वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अतिरिक्त एंव अन्य सभी करो सहित देय होगी एवं वस्तु एवं सेवाकर (GST) का भुगतान वस्तु एवं सेवाकर (GST) जमा करवाने का चालान प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर...............................
प्रस्तावक / फर्म का नाम व पता ....
प्रस्तावक का टेलीफोन / मोबाईलनं ....दिनांक. ....

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED
(A Government of Rajasthan Enterprise)
SBU & PC-Gypsum, Plot No.02, Gandhi Nagar Scheme Bikaner.
Phone:-0151-2200171-73, 0151-2523295
Website –www.rsmm.com email: info.rsmml@rajasthan.gov.in
CIN –U14109RJ1949SGC000505

Annexure-IV

PROFORMA OF GUARANTEE BOND FOR SECURITY DEPOSIT

(To be issued by a Public Sector Banks and Private Sector Banks as per Schedule II of the Reserve Bank of India Act,1954, having its Branch office at Bikaner on non-judicial stamp paper of 0.25% value of SD/BG amount subject to maximum amount of Rs 25000/-)

B.G. ___________ Dated ----------------

This Deed of Guarantee made between _____________________ a Bank, having its registered office at _____________ and its head office at _______________ and wherever the context so required include its successors and assignees (hereinafter called the Surety/ Bank) AND Rajasthan State Mines & Minerals Limited, a company incorporated and registered under Indian companies Act, 1956, having its registered office at C-89-90, Lal Kothi Scheme, Janpath, Jaipur and Corporate Office at ,4-Meera Marg, Udaipur, SBU&PC-Gypsum office at 2- Gandhi Nagar Scheme, Bikaner and wherever its context so required includes its successors and assignees (hereinafter called 'the company), Whereas the company having agreed to exempt M/s __________________________ a company/ partnership firm _____________ (address of registered/H.O.) where ever the context so require include its successors and assignees (hereinafter called the Contractor) from the demand under the terms and conditions of letter of intent no. _________ dated ________ issued in favour of the Contractor and agreement dated _______________ entered into between RSMML and M/s _________________ (contractor), hereinafter called ' the said letter of intent/agreement' which expression shall also include any amendment, modification or variations thereof made in accordance with the provisions thereof, of cash security deposit for the due fulfillment by the said letter of intent/ agreement on production of unconditional and irrevocable Bank Guarantee for Rs. (Rs. _____________) being equivalent to __ % of Contract value of Rs. _________.

1. We, ____________ (Bank) do hereby undertake to pay to the company as amount not exceeding Rs. _________ against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the company by reason of any breach by the said contractor of any terms and/or conditions contained in the Letter of Intent/ Agreement. The decision of the Company, as to any such breach having been committed and loss/ damage suffered to shall be absolute and binding on us.

2. We, _______ (Bank) do hereby undertake without any reference to the Contractor or another person and irrespective of the fact whether any dispute is pending between the Company and the Contractor of the fact whether any dispute is pending between the company and the Contractor before any court or tribunal or Arbitrator relating thereto, to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur, and/or protest merely on the very first demand from the Company stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or suffered by or would be caused to or suffered by the Company by reason of any breach by the said contractor of any of the terms and condition contained in the said Letter of Intent/ agreement by reason of the said contractor's failure to perform the covenants contained in said letter of intent/ agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive absolute and unequivocal as regards the amount due and payable by the bank under this guarantee. However, bank's liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. ________.

3. We, _______ (Bank) further agree that the guarantee herein above contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the company under or by virtue of the agreement have been fully paid and its claim/s satisfied or discharges or till the company certifies that the terms and the conditions of the said Letter of Intent/ agreement have been fully and properly carried out by the said contractor and accordingly

discharges the guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the bank in writing on or before .....(scheduled completion date plus six months), the bank shall be discharges from all liability under this guarantee thereafter unless otherwise further extended by the bank.

(iv) Tender no.RSMM/Gyp/Admn/10(26)/2026, Electric work at Bikaner office, SBU &PC-Gypsum, RSMML Bikaner Page 01of 23. In order to give full effect to the guarantee herein contained the company shall be entitled to act as if, we (bank) are your principal debtor in respect of all your claims against the Contractor hereby guaranteed by us as aforesaid and we hereby expressly waive all our rights of surety-ship and other rights, if any which are in any way inconsistent and/or contrary to the above or any other provision of this guarantee, the bank's guarantee to pay hereunder will not be determined or affected by your proceeding against the Contractor and the bank will be liable to pay the said sum as and when demanded by you merely on first demand being made on the bank by you and even before any legal or other proceedings taken against the contractor. Any letter of demand delivered at the bank's above branch/divisional office or Bikaner branch office under the signatures of the company's Financial Advisor and/or Head of SBU&PC-Gypsum or any of the Directors shall deemed to be sufficient demand under this guarantee.

5. We, ________ (Bank) further agree that the company shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Letter of Intent/ agreement or to extent time of performance by the said Contractor from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the company against the said contractor and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the Letter of Intent/ Agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said contractor or for any fore bearance act, or omissions on the part of the company or any indulgence of the Company to the said Contractor or by any such matter or things whatsoever which under the law relating to the sureties would but for this provisions have effect of so relieving us.

6. This guarantee herein contained would come into force from the date of issue and would not be affected by any change in the constitution of the contractor or ourselves or liquidation or winding up or dissolution or insolvency of the contractor not shall it be affected by any change in company's constitution or by any amalgamation or any absorption thereof or there with but shall ensure for and be available to and enforceable by absorbing or amalgamated company or concern till the payment or amount not exceeding Rs...................../- is made by the Bank.

7. The guarantee will not be discharged or affected if the company holds/ obtain any other security/guarantee/ promissory note from any person and/or the contractor and this guarantee shall be in addition to any such guarantees.

8. We, ____________________ (Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during this currency except with the previous consent of the company in writing.

9. The bank has power to issue this guarantee in favour of the Company and the undersigned has full powers to do so under power of Attorney dated _____ granted to him by the bank.

10. For the purpose of enforcing legal rights in respect of this guarantee Bikaner Courts in the state of Rajasthan alone shall have jurisdiction.

IN WITNESSETH I, HEREBY --------------------- SON OF----------------------- (designation)------(branch) constituted attorney of the said bank have set my signatures and bank seal on this guarantee which is being issued on non-judicial stamp of proper value as per Stamp Act prevailing in the state of ____________executed at ___________ this the